

ikku&h xke I M-d ; kstuk

mnns' ; :-

सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाले तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना एवं पुराने चिन्हित मार्गों का उन्नयन करना ।

iko/kku %&

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार संपर्क विहीन ग्रामों को एकल पहुँच (सिंगल कनेक्टीविटी) मार्ग से जोड़ने का प्रावधान है ।

dk& ykHk ys I drs gS :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले में 401 मार्गों के माध्यम से 1592 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य संपादित कराया जावेगा, जिससे कि इस आदिवासी बाहुल्य जिले के 250 से अधिक आबादी के 602 ग्रामों की आबादी लाभान्वित होकर मुख्य मार्गों से जुड़ जावेंगे ।

; kstuk dk ykHk dI s y%& tI s - लागू नहीं ।

- 1 किससे संपर्क करें ।
- 2 आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें ।
- 3 आवेदन करने का तरीका ।
- 4 आवश्यक दस्तावेज ।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क
विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन
इकाई डिण्डौरी